न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 33/25 (विविध)
केदार वगैरह बनाम राजस्थान सरकार
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.05.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मीनारायण मीणा द्वारा वास्ते पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.06.2025 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** मंण्डावर (दौसा)	
20/6/25	पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 25-6-25 को पेश हो।	
25.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा की तामील हो चुकी है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दिनांक 27.6.25 को पेश हो।	
27.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा से जवाब प्रा.पत्र पेश हो चुका है। वकील प्रार्थी ने बहस प्रा.पत्र हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	केदार बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर मु.नं.– 33/25 किस्म – विविध धारा 136	
	प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मंण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
33/2025	08.05.2025	27.06.2025

बउनवान

1. केदार पुत्र शंकर, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. छाजूराम पुत्र शंकर, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. रमज्या पुत्र गूजरया, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. राधेश्याम पुत्र गूजरया, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. रामविलास पुत्र गूजरया, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. रामस्वरूप पुत्र मेवासी, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. सोमोत्या पुत्र गूजरया, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. सम्पत पुत्र शंकर, निवासी ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री लक्ष्मीनारायण मीना।
2. अप्रार्थी – तहसीलदार बैजूपाडा।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की विवादित आराजीयात खाता नया 42, पुराना 41 के खसरा सं. 826, 827, 828, 830, 831, 836, 837, 838 कुल किता 08, कुल रकबा 1.30 हैक्टे. ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त ममलूका मकबूजा खातेदारी की भूमि है। विवादित आराजीयात से प्रार्थी अर्से दराज से काश्त का मुफीद होते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात के पड़ोसी काश्तकारान प्रार्थीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 830, 831, 826 रकबा 0.88 हैक्टे. को दबाने की कोशिश में लगे रहते है जिससे आये दिन झगडा फिसाद होते रहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को दिनांक 10.05.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी पालना में दिनांक 30.05.2022 को हल्का पटवारी व आई.एल.आर. गोलाडा, पटवारी हल्का लोटवाडा के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया था लेकिन फिर भी पडोसी काश्तकारान प्रार्थीगण को आये दिन हैरान परेशान करते रहते है। इसलिये उक्त भूमि की जब तक पत्थरगढी व

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तारबंदी नहीं हो जाती, तब तक पडोसी काश्तकारान प्रार्थीगण को आये दिन परेशान करते रहेगें। इसलिये हल्का पटवारी के द्वारा खसरा नं. 871, 897, 905 किस्म गै.मु.चाह मुस्तकिल बिन्दू मानते हुये एवं आराजी के मध्य तिमेडा को मुश्किल मुकामन मान कर उक्त भूमि खसरा नं. 830, 831, 826 रकबा 0.88 हैक्टे. भूमि स्थित ग्राम ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा की समस्त भुजाओं का सीमाज्ञान किया गया। अब प्रार्थी अपनी उक्त भूमि खसरा नं 830, 831, 826 रकबा 0.88 हैक्टे. भूमि स्थित ग्राम ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा की भूमि पर पत्थरगढी व तारबंदी के आदेश प्रार्थी न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी पडोसी काश्तकारान के अनुचित हस्तक्षेप से परेशान है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2022 के आधार पर पत्थरगढी व तारबंदी कर उक्त सीमा विवाद का स्थायी समाधान चाहते है ताकि आये दिन होने वाले झगड़ों से मुक्ति मिल सके। दिनांक 25.04.2025 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 01 के यहां अपनी भूमि की पत्थरगढी व तारवंदी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तो अप्रार्थी ने लेने से मना कर दिया व कहा कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ। तब आपकी भूमि की पत्थर गढी व तारबंदी करेगें। इसलिये प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र भूमि खसरा सं. 830, 831, 826 रकबा 0.88 हैक्टे. भूमि स्थित ग्राम ढिगारीया कपूर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा की मौके पर सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2022 के अनुसार मौके पर निशानात कायम कर मौके पर पत्थरगढी व तारबंदी किये जाने के लिये अप्रार्थी सं. 01 को आदेशित फरमाया जावें मय पर्याप्त पुलिस इमदाद की सहायता के आदेश जारी किये जावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा ने जवाब दिनांक 23.06.2025 प्रस्तुत किया कि " वाद में दर्ज आराजी खसरा सं. 830 रकबा 0.03 हैक्टे., 831 रकबा 0.43 हैक्टे., 826 रकबा 0.42 हैक्टे. कुल किता 3, कुल रकबा 0.88 हैक्टे. भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है जिनकी प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान राजस्व विभाग की टीम के द्वारा दिनांक 30.05.2022 को करवा दिया गया है। सीमाज्ञान अनुसार उक्त आराजी की दोड मेड तोडने को लेकर के वादीगण अपनी उपरोक्त आराजी की पत्थर गढी करवाना चाहते है जो उचित है। वादी की समस्या को देखते हुए उपरोक्त आराजी की पत्थर गढी करवाया जाना उचित है। वाद पत्र में वर्णित खसरा सं. 830, 831, 826 से सबंधित किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई स्थगन है।"

3. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खांता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमावन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 826, 830, 831 के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का दिनांक 30.05.2022 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंण्डावर (दौसा)

बैजूपाडा द्वारा उक्त पत्थरगढी किये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिनांक 23.06.2025 में अनापत्ति व्यक्त की है।

4. प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 826, 830, 831 कुल रकबा 0.88 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरों की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक गोलाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीसं प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक गोलाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)